प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 45/2022)

तत्काल

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

"ट्राई ने "मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) पंजीकरण के नवीनीकरण" पर परामर्श पत्र जारी किया"

नई दिल्ली, 20 जुलाई 2022- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने आज "मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) पंजीकरण का नवीनीकरण" पर परामर्श पत्र जारी किया है।

2. भारतीय प्रसारण क्षेत्र का डिजिटलीकरण वर्ष 2012 में शुरू हुआ और मार्च 2017 तक पूरे देश में कार्यान्वित हो गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने जून 2012 में डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (DAS) कार्यान्वयन के दौरान मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों (MSOs) को पहला नया पंजीकरण जारी किया था, जो जून 2022 में नवीनीकरण / विस्तार के लिए देय हो जाता है। केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994, एमएसओ पंजीकरण के नवीनीकरण के प्रावधान का उल्लेख नहीं करता है। इसे देखते हुए, प्राधिकरण को एमआईबी से एक संदर्भ प्राप्त हुआ है जिसमें एमएसओ नवीकरण प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें मांगी गई हैं।

3. इसे ध्यान में रखते हुए, ट्राई "मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) पंजीकरण के नवीनीकरण" पर परामर्श पत्र जारी कर रहा है। परामर्श पत्र का उद्देश्य एमएसओ पंजीकरण के नवीनीकरण से संबंधित प्रासंगिक मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त करना है, जिसमें इस तरह के नवीनीकरण के लिए भुगतान की जाने वाली शुल्क की मात्रा भी शामिल है।

4. परामर्श पत्र का पूरा पाठ ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

5. हितधारकों से परामर्श पत्र पर लिखित टिप्पणियां **10 अगस्त 2022** तक आमंत्रित की जाती हैं। प्रति टिप्पणियां, यदि कोई हो, **17 अगस्त 2022** तक प्रस्तुत की जा सकती हैं। टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां ईमेल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजी जा सकती हैं: - advbcs-2@trai.gov.in और jtadvbcs-3@trai.gov.in।

6. किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए, श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बी और सीएस)/ (प्रसारण एवं केबल सेवाओं) से दूरभाष क्रमांक. +91-11-23237922 पर संपर्क किया जा सकता है।

वी.र

(वी. रघुनंदन)

सचिव, ट्राई